

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा

बनाम

कन्हैयालालकार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र (रे.वि.) नं० **092** सन् **2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2023	<p>अधिवक्ता भैरूलाल सालवी के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली सिगहे से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। हाजिर अधिवक्ता भैरूलाल सालवी ने कन्हैयालाल पिता डूंगा जाति भांभी निवासी धनेरिया कलां तहसील व जिला नीमच (मध्य प्रदेश) की और से अधिकार पत्र एवं प्रार्थना-पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। न्यायालय आदेश दिनांक 04.05.2022 से प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 108/2020 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम कन्हैयालाल अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 20.10.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 10,55,330/- अक्षरे दस लाख पचपन हजार तीन सौ तीस रूपये मात्र मुआवजा राशि का चेक अप्रार्थी द्वारा प्राप्त नहीं करने से मुआवजा राशि माननीय न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का आदेश दिया गया है। इस पर कार्यालय के पत्रांक/सरिश्ता/प्र.सं. /018/2022(रे.वि.)(04.05.2022)686 दिनांक 31.08.2022 से प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र मूल ही सिविल डिपोजिट माननीय न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर प्रेषित किया गया। इस पर माननीय न्यायालय भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर द्वारा पत्रांक/कोर्ट/2022/165 दिनांक 09.09.2022 से उक्त प्रकरण अधिनियम 2013 के परिधि में नहीं आने से लौटाये गये है, अतः प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश दिया जाता है। आज वकील प्रार्थी कम्पनी एनके नाहर हाजिर। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता भैरूलाल सालवी हाजिर। हाजिर वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 108/2020 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम कन्हैयालाल अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 27.07.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 10,55,330/- अक्षरे दस लाख पचपन हजार तीन सौ तीस रूपये मात्र मुआवजा राशि का चेक अप्रार्थी प्राप्त करना चाहता है, अतः उक्त मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थी को दिलवाये जाने का आदेश प्रदान कराया</p>	



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>जावें। हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी ने निवेदन किया गया है कि प्रार्थी कम्पनी मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु तत्पर है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का चिंतन-मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 108/2020 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम कन्हैयालाल अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 27.07.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 10,55,330/- अक्षरे दस लाख पचपन हजार तीन सौ तीस रूपये मात्र निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थी को भुगतान करना चाहती है एवं अप्रार्थी अब मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 108/2020 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम कन्हैयालाल निर्णय दिनांक 27.07.2021 अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थी को दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रार, भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, जयपुर के नाम पर जारी चैक संख्या 017242 तादारी रूपये 10,55,330/- अक्षरे दस लाख पचपन हजार तीन सौ तीस रूपये मात्र का चैक प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 108/2020 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम कन्हैयालाल अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 27.07.2021 की पालना में प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु चैक तहसीलदार निम्बाहेड़ा को उपलब्ध करावें। तहसीलदार उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबंध में संतुष्टि के उपरांत संबंधित को राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। उपरोक्त भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेंट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम खनन कार्य करने हेतु प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकन करने के पश्चात् प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में ली जा सकेगी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को तहरीर जारी करें। प्रार्थना-पत्र को नवीन नम्बर पर दर्ज रजिस्टर करें। प्रार्थना-पत्र अहकाम की प्रति पोर्टल पर अपलोड करें। तदनुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-S/d- (पीयूष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 22.08.2023</p>	

